बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पटना

दिनांक 07.04.03

पत्र संख्या 20

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- श्री नन्द किशोर वर्मा, अंचल अधिकारी, खुटौना, जिला-मधुबनी को खुटौना थाना केस नं0-18/03 में अनावश्यक रूप से (प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभारी के रूप में) नाम दर्ज होने एवं तंग करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको सम्बोधित आवेदन की प्रति मुझे भी दी गई है । इस आवेदन के संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होगा कि श्री वर्मा ने खुटौना प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्वतः प्रभार दिनांक- 23-05-01 को ग्रहण किया तथा कैश बुक का विधिवत प्रभार इनके पूर्वाधिकारी श्री त्रिवेणी झा (बिहार कृषि सेवा) द्वारा 04-07-01 को दिया गया । विषयांकित प्राथमिकी इंदिरा आवास योजना 80 प्रतिशत मद में 20 लाख रूपये के गबन से संबंधित है । श्री वर्मा द्वारा इस मद में बैंक एकाउंट्स का operation दिनांक- 09-06-2001 से प्रारंभ किया गया है ।

परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मधुबनी के पत्रांक- शून्य, दिनांक-05-02-03 के जाँच प्रतिवेदन में सूचित किया कि इंदिरा आवास योजना 80 प्रतिशत मद में दिनांक- 29-03-01 से 21-05-01 के बीच में ओभर राईटिंग कर 20 लाख रूपये का गबन किया गया है । स्पष्ट है कि श्री वर्मा इस अवधि में प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में नहीं थे । श्री वर्मा द्वारा

.... पृ0

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पटना

पत्र संख्या ....

दिनांक...........................

17-05-02 को वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री अरविंद कुमार को प्रभार सौंपा गया । श्री वर्मा इस कार्यकाल में उक्त अवधि का अंकेक्षण कराया गया, जिसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं पायी गई । श्री वर्मा के प्रभार ग्रहण करने के बाद दिनांक-27-07-01 को जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा भी प्रखंड का निरीक्षण किया गया । लेकिन उक्त तिथि को भी इनके कैश-बुक में किसी तरह की अनियमितता नहीं पायी गई । प्रभार सौंपने के बाद भी परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए०, मधुबनी द्वारा जाँच कराया गया, जिसमें कैश-बुक बिल्कुल ठीक पाया गया । श्री वर्मा के द्वारा दिनांक-23-05-01 को स्वतः प्रभार ग्रहण के समय सामान्य रोकड़ में 1 करोड़ 72 लाख 9 हजार 9 सौ अड़सठ रूपये 60 पैसे थे, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खुटौना के खाता संख्या-122 में 12,422 रू० 37 पैसे ही उपलब्ध था, जो इनके रोकड़ का प्रभार ग्रहण में आया है । श्री वर्मा द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किये गये कागजातों से स्पष्ट होगा कि यह गबन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खुटौना के खाता संख्या-122 के पासबुक से सम्बन्धित है । इसके अवलोकन से साफ है कि दिनांक- 15-06-2000 और 20-06-2000 के कैश बैलेंस में 20 लाख रूपये का अंतर है । स्पष्ट है कि यह गबन जून, 2000 में ही की गई होगा, जिस समय श्री वर्मा मधुबनी जिला में पदस्थापित नहीं हुए थे ।

मुझे विश्वस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि इस कांड के मुख्य आरोपी श्री त्रिवेणी झा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदा० खुटौना के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा जो आरोप-पत्र गठित किया गया और प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को भेजी गई है, इस गबन के लिये पूर्ण रूप से श्री झा को सप्रमाण उत्तरदायी ठहराया गया है । इसमें कहीं भी श्री वर्मा की संलिप्तता किसी भी रूप में उल्लिखित नहीं है ।

...........पृ०/3

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पटना

पत्र संख्या ....

दिनांक..........................

उक्त स्थिति में श्री वर्मा का प्राथमिकी में नाम घसीटना किसी भी दृष्टि से युक्तसंगत तो नहीं ही कहा जा सकता है, इसे अनैतिक ही माना जाएगा। इनके नाम प्राथमिकी दर्ज होने से ये गिरफ्तारी के डर से दर-दर भटक रहे हैं और सरकार का राजस्व कार्य बुटौना का तो प्रभावित हो ही रहा है, घोघरडीहा अंचल, जिसके ये प्रभार में हैं, का भी प्रभावित हो रहा है। इस तरह एक निर्दोष पदाधिकारी के समुचित कार्य क्षमता का उपयोग सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, इससे जहाँ राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं मानव शक्ति का दुरूपयोग भी हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि वर्मा का नाम उक्त गबन कांड से हटाये जाने का समुचित निदेश जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को दिया जाए ताकि श्री वर्मा द्वारा अपना कार्य भार सुचारु रूप से पुनः किया जा सके एवं वेतनादि का भुगतान हो सके।

विश्वासभाजन,

ह0/-

{गंगाधर लाल दास}
महासचिव।

ज्ञाप संख्या- 20 पटना, दिनांक- 07.04.03

प्रतिलिपि-कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वस्तुस्थिति का समुचित जाँचोपरांत श्री वर्मा को उक्त कांड की संलिप्तता से मुक्त करने की कार्रवाई की जाए।

गं०ला०दास
7.4.03

{गंगाधर लाल दास}
महासचिव।